

कार्यालय, प्राचार्य,
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

पत्र क्रमांक 1706 / 2021

रायपुर, दिनांक 16 / 09 / 2021
संशोधित

// सूचना //
(शासकीय विज्ञान महाविद्यालय एवं शासकीय आदर्श महाविद्यालय)

बी.एस-सी./बी.सी.ए./डी.सी.ए. प्रथम वर्ष में सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु जिन छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है वे समस्त प्रमाण पत्रों सहित नीचे दर्शयी गई तिथियों में ओपन कॉउंसलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

01- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समस्त छात्र-छात्राओं हेतु (बी.एस-सी./बी.सी.ए./डी.सी.ए)	17.09.2021 शुक्रवार समय 11:00 बजे	कक्ष क्र.(बायो हेतु) एफ 43, 44 (गणित हेतु) जी 46 एवं भौतिकी प्रथम वर्ष प्रयोगशाला कक्ष (बी.सी.ए./डी.सी.ए हेतु) जी 56 (आदर्श महाविद्यालय हेतु) जी 21
02- बी.एस-सी. प्रथम वर्ष के अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के समस्त छात्र-छात्राओं हेतु 12वीं के प्राप्तांक एवं अधिभार (एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट, खेलकूद एवं अन्य) मिलाकर 90 प्रतिशत से ऊपर वाले ही उपस्थित रहें	20.09.2021 सोमवार समय 11:00 बजे	कक्ष क्र.(बायो हेतु) एफ 43, 44 (गणित हेतु) जी 46 एवं भौतिकी प्रथम वर्ष प्रयोगशाला कक्ष (बी.सी.ए./डी.सी.ए हेतु) जी 56 (आदर्श महाविद्यालय हेतु) जी 21
बी.सी.ए./डी.सी.ए.के समस्त छात्र-छात्राओं हेतु डी.सी.ए. 12वीं के प्राप्तांक एवं अधिभार (एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट, खेलकूद एवं अन्य) मिलाकर 70 प्रतिशत से ऊपर वाले ही उपस्थित रहें		
एवं बी.सी.ए. 12वीं के प्राप्तांक एवं अधिभार (एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट, खेलकूद एवं अन्य) मिलाकर 90 प्रतिशत से ऊपर वाले ही उपस्थित रहें		
शासकीय आदर्श महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं हेतु 12वीं के प्राप्तांक एवं अधिभार (एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट, खेलकूद एवं अन्य) मिलाकर 80 प्रतिशत से ऊपर वाले ही उपस्थित रहें		

समस्त छात्र-छात्राएं समय 11:00 बजे महाविद्यालय में उपस्थित होकर आबंटित कक्षाओं में बैठेंगे । निर्धारित समय के पश्चात् उनके कॉउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी ।

नोट – अधिभार के संबंध में प्रवेश नियमावली संलग्न हैं, आवेदन भरते समय दर्शाए गए अधिभार का प्रमाण पत्रों पर ही अधिभार देय होगा ।



(डॉ. राधा पाण्डेय)

प्राचार्य

शास.नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

// प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज //

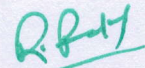
- 01- आवेदन पत्र की प्रति
(1. सामान्य विवरण, 2. आवेदक द्वारा प्रतिज्ञा एवं घोषणा, 3. प्रवेश समिति के जांचकर्ता/सदस्य)
- 02- पासपोर्ट साईज कलर फोटो – 02
- 03- स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- 04- चरित्र प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
- 05- 10वीं की अंकसूची (मूल/छायाप्रति)
- 06- 12वीं की अंकसूची (मूल/छायाप्रति)
- 07- निवास प्रमाण पत्र (मूल/छायाप्रति)
- 08- गेप सर्टिफिकेट (यदि हो तो) मूल प्रति
- 09- अन्य बोर्ड के आवेदक प्रवजन प्रमाण पत्र (छायाप्रति)
- 10- जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित वर्ग का हो तो)
- 11- खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस. के संबंधित प्रमाण पत्र (मूल/छायाप्रति) अधिभार हेतु

पृ. क्रमांक  /2021

प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक  /09/2021

- 01- संबंधित विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 02- प्रवेश प्रभारी प्रथम वर्ष को सूचनार्थ ।
- 03- प्रभारी, अनुशासन समिति को सूचनार्थ की उक्त तिथियों एवं समय पर छात्रों के बीच अनुशासन बनाना सुनिश्चित करें ।
- 04- हेल्प डेस्ट को सूचनार्थ ।
- 05- मुख्य लिपिक/स्टोर प्रभारी को सूचनार्थ की आबंटित कक्षाओं की साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें ।



(डॉ. राधा पाण्डेय)

प्राचार्य

शास.नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे। आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी में अपना काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या बढ़ाई जायेगी।

जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में निर्देश दिया गया है कि— "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर अधिकतम सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

- (ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
- (च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
- (छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (य) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट 10 प्रतिशत
- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कड़िका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत

करने वाले को

- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

1. भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

15 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल सघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद का प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा आलमियाड/एशियाड/स्नातक अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दो बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार से मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रार्थना करने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम